मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

(१) धारा ५ में,—

(एक) खण्ड (१०-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१०-क) "कालोनाईजर" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;";

(दो) खण्ड (१०-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१०-ख) "कालोनी" से अभिप्रेत है, किसी भूमि का भाग जिसे आवासीय या गैर आवासीय या दोनों के प्रयोजन से, भूखण्डों में विभाजित करके या उस पर अपार्टमेंट निर्मित करके विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के आशय से विकसित किया गया है या वह विकास के अधीन है;";

(तीन) विद्यमान खण्ड (५७-क) को खण्ड (५७-ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (५७-ख) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(५७-क) "अनधिकृत कालोनी" से अभिप्रेत है, कोई कालोनी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विकसित किया गया है या जो विकास के अधीन है;".

(२) धारा ८० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"८०. निगम के स्वामित्व की या उसमें निहित अथवा उसके प्रबंधन के अधीन कोई भी अचल अथवा चल सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, अंतरण या अन्यथा द्वारा व्ययन, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित के सिवाय नहीं किया जाएगा.". **अचल अथवा चल सम्पत्ति का व्ययन.**

(३) धारा ८१-क का लोप किया जाए.

(४) धारा २९२-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण.

"२९२-क. (१) राज्य सरकार, कालोनाइजर के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पदाभिहित करेगी.

(२) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार विहित करे:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शासकीय इकाई को, जिसे वह उचित समझे, कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण से छूट दे सकेगी.

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, के अतिक्रमण के लिए कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर सकेगा:

परन्तु कालोनाइजर को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन जारी निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, की जा सकेगी.".

(५) धारा २९२-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कालोनियां विकसित करने के लिए अनुज्ञा.

"२९२-ख. (१) कालोनाइजर, आयुक्त से ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, कालोनी का विकास करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा:

परन्तु कालोनी का विकास करने के लिए कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह भी कि, आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(२) (क) कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह के व्यक्तियों को भी पूर्ण विकसित भूखण्ड अथवा निर्मित निवास इकाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी.

(ख) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का आकार, संख्या या अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(ग) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का विक्रय मूल्य तथा उन व्यक्तियों जिन्हें कालोनाइजर द्वारा यह विक्रय किए जा सकते हैं, के चयन की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भूखण्डों या निवास इकाईयों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार ऐसे मामलों में, जैसा कि वह उचित समझे, शुल्क अर्थात् आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी. आश्रय शुल्क का निर्धारण, संग्रहण तथा उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(४) ऊपर उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के अनुसार, कालोनाइजर नागरिक अधोसंरचना जैसे, सड़कें, खुला स्थान, जल आपूर्ति, बिजली, सीवेज तथा आमोद-प्रमोद क्षेत्र उपलब्ध कराएगा.

(५) कालोनाइजर, उपधारा (४) में यथा उल्लिखित विकास की लागत के विरुद्ध बैंक गारण्टी या ऐसी संख्या में यथास्थिति, भूखण्डों या भवनों का बंधक प्रस्तुत करेगा. ऐसी बैंक गारण्टी या बंधक सम्पत्तियों को ऐसी रीति से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मुक्त किया जाएगा.

(६) कालोनाइजर, विहित रीति में, कालोनी की समस्त सही जानकारी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रदर्शित करेगा.

(७) कालोनाइजर, उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई विकास अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का पालन करेगा.

(८) विकास पूर्ण होने पर, आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति में समापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(९) उपधारा (५) के सिवाय, इस धारा के उपबंध धारा २९२-क की उपधारा (२) के परन्तुक में उल्लिखित इकाई पर ऐसे उपांतरण के साथ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, लागू होंगे.''.

(६) धारा २९२-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

अनुज्ञा के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई.

''**२९२-ख क.** (१) यदि धारा २९२-ख की उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का अतिक्रमण होता है तो आयुक्त, उस सीमा तक जितना कि आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में, धारा २९२-ख की उपधारा (५) के अधीन बैंक प्रत्याभूति को भुना सकेगा या बंधक सम्पत्ति को समपहृत तथा व्ययन कर सकेगा. इस प्रकार वसूल की गई राशि, अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उपयोग की जाएगी:

परन्तु यदि समपहृत संपत्तियों के व्ययन से या बैंक प्रत्याभूति भुनाकर वसूल की गई राशि से अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो शेष राशि कालोनाइजर से भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगी:

परन्तु यह और कि कालोनाइजर को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.''.

(७) धारा २९२-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराध तथा दण्ड.

धारा २९२-ग. (१) यथास्थिति, कोई भूमि स्वामी या व्यक्ति अथवा दोनों, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कालोनी के विकास का कार्य करता है, तो वह अनधिकृत कालोनी विकसित करने का अपराध कारित करता है.

(२) कोई कालोनाइजर, जो धारा २९२-ख की उपधारा (४) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी भूमि का विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरित करता है या ऐसी भूमि पर अनुज्ञेय से भिन्न अन्य निर्माण करता है, तो वह अनुज्ञा के अतिक्रमण का अपराध कारित करता है.